राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं. – 53/2012 रा०वा० निर्णय दिनांक 01/0[illegible]/201[illegible]

अनवान

1. श्री गणपतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
2. श्रीमति कमला बेवा लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
3. श्री हर्तुसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री धीसासिंह पिता पीथासिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
2. श्री गमनसिंह पिता पीथासिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
3. श्री किशनसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
4. श्री नारायणसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
5. श्रीमति लाडुदेवी बेवा वरदसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
6. श्रीमति देवी पुत्री उदयसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
7. श्री छोगसिंह पिता नाहरसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
8. श्री कालूसिंह पिता नाहरसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
9. श्रीमति टमू पुत्री नाहरसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
10. श्रीमति सीता देवी पुत्री नाहरसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
11. श्रीमति फेफी देवी बेवा नाहरसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादी

वाद--पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 आरटीए

यह कि ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम मे निम्न आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सयुंक्त खाते व कब्जे मे चली आ रही है:–

(क)

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	रकबा बिस्वांसी	किस्म
227	2593	11	01	00	बड़ाड
	3030	00	05	00	गैमुबाह

कुल किता 02 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा

(ख)

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	रकबा बिस्वांसी
228	833	00	11	00
	841	00	08	05
	842	00	05	10
	843	00	09	10
	844	00	08	00
	845	[illegible]	13	1[illegible]
	846	[illegible]0	10	00
	847	[illegible]	[illegible]4	[illegible]
	848	[illegible]	[illegible]7	[illegible]
	849	[illegible]	[illegible]8	[illegible]
228	850	[illegible]	[illegible]9	[illegible]
	851	[illegible]	[illegible]2	[illegible]
	853	[illegible]	[illegible]5	[illegible]
	854	[illegible]	[illegible]2	[illegible]
	3032	[illegible]	[illegible]7	[illegible]
	3123	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3142	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3143	[illegible]	[illegible]	[illegible]

...र एवं ...री, भीम ...राजसमन्द

Scanned by CamScanner

3144	00	04	09
3151	00	08	00
3152	00	10	00
3153	00	08	00
3154	[illegible]	02	15
3158	[illegible]	04	10
5428	00	08	[illegible]
5429	00	08	00

कुल किता 26 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा

वादीगण का वादपत्र की कलम संख्या 1 (क) मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा है इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 1 (क) मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 1 (ख) में वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 7 से 11 का 1/3 हिस्सा है।

उपरोक्त कृषि आराजियात संयुक्त खातेदारी एव संयुक्त उपयोग उपभोग की होने से वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी सुविधा अनुसार मौके पर खेतीबाडी कर रहे है व सयुक्त की भूमियो का उपयोग उपभोग कर रहे है। किन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वह वादीगण को उनके हिस्से की सीमा तक भूमियो के काश्त करने से रोकने का प्रयास कर रहे है तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमि मे जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण वादपत्र जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वो वादीगण को उनकी जमीन पर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वो वादीगण को उनकी जमीन पर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेशा वादी के साथ लडाई झगडा करते रहते है।

प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व के कब्जे शुदा उक्त आराजियात पर कब्जा करने की नियत से इनकी वादग्रस्त जमीन पर बनी पाल डोल वगैरह को हटाने की कोशिश कर रहे है तथा वादी को उनकी उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहे है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत** न्याय आपके द्वार **2015 कैम्प दिवेर** मे पेश हुआ। वादी का वादपत्र प्रतिवादी संख्या 6 ,10 व 11 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उनके प्रति एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 2, 3 , 4 5, 7 8 व 9 उपस्थित हुए इनकी सहमति वादी का वाद डिकी किया जाता है उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगणो को हिस्सेअनुसार मौके पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्सेअनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner